

!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक : स्था./13/2026/5670

:: आ दे श ::

दिनांक : 18 FEB 2026

I

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक G/I/A-4(i)(a)/17/2025/98 दिनांक 31.01.2026 के द्वारा निम्नांकित लिपिक ग्रेड द्वितीय का पूर्व में अलवर न्यायक्षेत्र से खैरथल-तिजारा न्यायक्षेत्र में किये गये अन्तर जिला न्यायक्षेत्र स्थानान्तरण को निरस्त किया गया है। उक्त आदेश की पालना में इन कर्मचारीगण द्वारा कॉलम सं. 3 में अंकित दिनांक को इस न्यायक्षेत्र में अपनी उपस्थिति दी गई है। इन कर्मचारीगण को उनके नाम के सम्मुख कॉलम सं. 4 में अंकित कार्यालय में लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारीगण	इस न्यायक्षेत्र में उपस्थिति देने की तिथि	पदस्थापन कार्यालय	शेष आकस्मिक अवकाश	ऐच्छिक अवकाश
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजाराम मीना लिपिक ग्रेड द्वितीय	18.02.2026	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, राजगढ़	15 दिवस	02 दिवस
2	श्री मनोज कुमार बैरवा लिपिक ग्रेड द्वितीय	18.02.2026	वाणिज्यिक न्यायालय, अलवर	14 दिवस	02 दिवस
3	सुश्री कोमल सैनी लिपिक ग्रेड द्वितीय	18.02.2026	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2, अलवर	12 दिवस	02 दिवस

नोट :-

- 1- उपरोक्त कर्मचारीगण को इस कार्यालय से आज दिनांक 18.02.2026 को अपराह्न में कार्यभार मुक्त किया जाकर निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति तुरन्त प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम सं. 4 में अंकित कार्यालय में देवे।
- 2- उपरोक्त कर्मचारीगण को इस आदेश के तहत कोई योगकाल एवं यात्राभत्ता देय नहीं होगा।

II

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक G/I/B-4(i)(a)/1/76/87 दिनांक 30.01.2026 के द्वारा श्री भारत गुप्ता, लिपिक ग्रेड द्वितीय का धौलपुर न्यायक्षेत्र से अलवर न्यायक्षेत्र में अन्तर जिला न्यायक्षेत्र स्थानान्तरण, आदेश में वर्णित शर्तों के अधीन किया गया है। श्री गुप्ता द्वारा दिनांक 02.02.2026 को पूर्वाह्न में इस कार्यालय में अपनी उपस्थिति दी गई है। श्री गुप्ता को कार्यालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज) संख्या-3, अलवर में लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है।

III

श्री भारत गुप्ता, लिपिक ग्रेड द्वितीय कार्यालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज) संख्या-3, अलवर को प्रशासनिक कार्यव्यवस्था के तहत तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक कार्यालय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी में लगाया जाता है। श्री गुप्ता थानागाजी मुख्यालय पर नजारत शाखा में सहायक नाजिर का कार्य करेंगे।

जिला न्यायाधीश
अलवर (राजस्थान)

IV

श्री भारत गुप्ता, लिपिक ग्रेड द्वितीय को इस कार्यालय से आज दिनांक 18.02.2026 को अपरान्ह में कार्यभार मुक्त किया जाकर निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति तुरन्त प्रभाव से कार्यालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज) संख्या-3, अलवर में देवे। श्री गुप्ता के अवकाश खाते में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 03.09.2026 व 14.09.2026 के ऐच्छिक अवकाश शेष हैं। श्री गुप्ता को इस आदेश के तहत कोई योगकाल एवं यात्राभत्ता देय नहीं होगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अन्तर जिला न्यायक्षेत्र स्थानान्तरण पर आये श्री भारत गुप्ता, लिपिक ग्रेड द्वितीय वर्तमान में इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत लिपिक ग्रेड द्वितीय की वरीयता सूची में कनिष्ठतम रहेगे।

उपरोक्त समस्त कर्मचारीगण की उपस्थिति रिपोर्ट व कार्यमुक्ति आदेश की प्रतियाँ नियमानुसार इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

sd/-
(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र

क्रमांक : स्था./2026/ 5671-87

दिनांक : 18 FEB 2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, अलवर
2. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 2, अलवर
3. अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1 राजगढ़/थानागाजी
4. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज) सं. 3, अलवर
5. संबंधित कर्मचारी/व्यक्तिगत पत्रावली/लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली
6. सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई-मेल करने हेतु।

sd/-
18-02-2026
(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र